न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

भरण पोषण अपील संख्या- 162/2020

पूनाराम v/s श्रीमति माडुदेवी वगै.

15/2/2021 अपीलान्ट जरिये खास मुख्त्यार सुश्री सुमित्रा उर्फ काजल उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती माडूदेवी व रेस्पोडेन्ट संख्या–3 उमाराम उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 श्रीमती माडूदेवी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिसकी नकल अपीलान्ट को दिलाई गई, प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र शामिल मिसल हो।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 माडूदेवी ने प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेने जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश किया था उसमें मैं आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूँ। पूर्व में मेरे व मेरे पुत्रों के मध्य अनबन होने के कारण मैने मुकदमा किया था अब आपस में राजीनामा होने से में इस मुकदमें को निस्तारित करना चाहती हूँ। मैं स्वय पूर्ण रूप से सक्षम हूँ मुझे किसी प्रकार की भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है। मै मेरे पति के पुश्तैनी घर में अपने बेटों के साथ खुशी–खुशी निवास करती हूँ तथा मेरे हिस्से की 10 बीघा जमीन भी मुझे अलग से दे रखी है। जिससे मेरे भरण पोषण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मुझे 1500 रूपये पेंशन भी मिलती है और मेरे सभी बेटों द्वारा मेरी सार–संभाल व देखरेख की जाती है जिस कारण मुझे भरण पोषण की आवश्यकता नहीं होना अवगत कराते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष हस्तगत मुकदमें को निस्तारित करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 माडूदेवी के आवेदन पर नो ओबजेक्शन किया है। अपीलान्ट ने कथन किया कि चूँकि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 माडूदेवी ने प्रार्थना पत्र में उपर्युक्तानुसार उसे किसी प्रकार के भरण पोषण की आवश्यकता नहीं होने एवं भरण पोषण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना आदि बताया है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट खींवसर द्वारा भरण पोषण प्रकरण संख्या–1/2019 माडु देवी बनाम पुनाराम में दिनांक 11.09.2020 को निर्णय पारित कर उनके द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 को अप्रार्थी पुनाराम(अपीलान्ट) के विरूद्ध यथावत रखा जाकर अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 को आदेशित किया है कि प्रत्येक अप्रार्थीगण के लिए प्रतिमाह प्रार्थीया को भरण पोषण अधिनियम के तहत राशि 1200–1200/–रूपये कुल 6000/–रूपये अदा करना नियत की गई। उक्त निर्णय दिनांक 11.09.020 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 11.09.2020 को अपीलार्थी की हद तक अपास्त करने का निवेदन किया।

हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 माडूदेवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार, उसके द्वारा स्वंय व अपने पुत्रों के मध्य अनबन होने के कारण मुकदमा करने का कथन किया है एवं उसे किसी प्रकार के भरण पोषण की आवश्यकता नहीं होने एवं भरण पोषण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना अवगत करवाया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या–1 माडूदेवी द्वारा [illegible] पत्र में किये गये समग्र कथनों के सन्दर्भ में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत [illegible] अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैसे [illegible] अपील अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जाता है। आदेश सुनाया [illegible] अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की एक–एक प्रति समस्त पक्षकारान को निशुल्क सूचनार्थ भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:27:13 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,नागौर